

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-27-2-17

संख्या-12/प0-(मू0को0) 5002/15-सा0प्र0-2345/ श्री सुधीर कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क0-1230/11, गृह जिला-सीतामढ़ी को वरीय उप समाहत्ता, राज्य स्वास्थ्य समिति (स्वास्थ्य विभाग) बिहार, पटना के पद से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर (सारण) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सुधीर कुमार को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ हीं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भीम प्रसाद

(भीम प्रसाद)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 5002/15-सा0प्र0-2345/पटना, दिनांक-27-2-17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भीम प्रसाद

सरकार के उप सचिव